आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

13.5.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0– 04/2013–14
73/2013–14

संजय कुमार यादव, पिता–सीताराम यादव, सा0–महेशखूँट, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया – पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

धरम नाथ यादव उर्फ धरम लाल यादव, पिता–स्व0 राम प्रसाद यादव, सा0–तीरा खारदह, थाना–सिकटी, जिला–अररिया – उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक श्री संजय कुमार यादव, पिता–सीताराम यादव, सा0–महेशखूट, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 02/2008–09 / 176/2012 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2013 के विरूद्ध समाहर्त्ता अररिया के न्यायालय में दिनांक 07.05.2013 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 11.02.2014 को विचारार्थ स्वीकृत करते हुए विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा
गोसाईपुर अंचल–कुर्साकांटा	53	388	0.10 ए0
		518	0.25 ए0
	54	35	0.44 ए0
	55	367	0.57 ए0
		832	0.61 ए0
	58	67	0.85 ए0
	59	444	0.40 ए0
		448	0.55 ए0
		489	0.47 ए0
			कुल 4.24 ए0

विपक्षी को सूचना निर्गत की गई तथा उनकी ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को दिनांक 05.03.2016 को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि उन्हें चकबंदी वाद सं0 77/1989–90 द्वारा प्राप्त है। जिसमें विपक्षी भी पक्षकार थे तथा प्रथम पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा पाते हुए चकबंदी पदाधिकारी द्वारा 26.05.1990 को उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा किसी भी न्यायालय में आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है। जिसके आधार पर उन्होंने विज्ञ अंचल अधिकारी के न्यायालय में नामान्तरण वाद सं0 311/2002 / 678/2006–09 दाखिल किया गया। जिसमें विज्ञ अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा द्वारा उनके स्वत्व एवं दखल–कब्जा के

आधार पर उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत है। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में अपील वाद सं0 02/2008–09 दाखिल किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा अंचलाधिकारी के पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया जो आदेश विधि सम्मत नहीं है। जिसे रद्द करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उन्हें T.S. No. 428/75 दिनांक 26.03.1976 को प्राप्त है। जिसके आधार पर उन्होंने दाखिल–खारिज कराकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे थे। किन्तु पुनरीक्षणकर्त्ता दिनांक 28.09.2002 को चकबंदी खतियान के आधार पर विज्ञ अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा से गलत तथ्यों के आधार पर दाखिल–खारिज अपने नाम करवा लिया। जबकि उक्त नामान्तरण वाद में विपक्षी द्वारा आपत्ति भी दाखिल किया गया। किन्तु उसकी अनदेखी कर हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के गलत प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध उनके द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में अपील वाद सं0 25/2008–09 / 176/2012 दाखिल किया गया। जहाँ विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा विपक्षी के दावे को सही पाते हुए अंचलाधिकारी के पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 29.01.2013 बिलकुल सहीं है तथा न्याय संगत है।

इनका यह भी कहना है कि चकबंदी वाद सं0 77/1989–90 में दिनांक 26.05.1990 को पारित आदेश की जानकारी इन्हें जब हुई तबतक चकबंदी का कार्य स्थगित हो गया था। तब इनके द्वारा T.S. No. 122/2009 सक्षम न्यायालय में दाखिल किया गया, किन्तु उक्त वाद पैरवी के आभाव में खारिज हो गया। पुनः मूल मुकदमा को पुर्नजिवित करने के लिये विपक्षी द्वारा विविध वाद सं0 8/2010 सब जज प्रथम के न्यायालय में मामला दाखिल किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया का पारित आदेश को बहाल रखे जाने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन तथा संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी को वर्ष 1975 ई0 में T.S. No. 428/75 द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका जमाबंदी इनके नाम से दर्ज हुआ था और लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे थे। इस बीच 1990 में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा चकबंदी पदाधिकारी के वाद सं0 77/1989–90 में दिनांक 26.05.1990 को चकबंदी खतियान में नाम दर्ज करा लिया गया और उसी के आधार पर 11 वर्ष बाद अंचलाधिकारी के न्यायालय से हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण कराने में सफल रहें। जबकि उक्त नामान्तरण में विपक्षी द्वारा आपत्ति भी दर्ज की गई। किन्तु विज्ञ अंचलाधिकारी द्वारा बिना सुनवाई किये आपत्ति को दरकिनार कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया।

पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा चकबंदी के आदेश फलक की छाया प्रति के अतिरिक्त अपने स्वत्व एवं दखल के संबंध में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि विपक्षी के पूर्व से कायम जमाबंदी एवं निर्गत लगान रसीद उनके दखल के दावे को प्रथम दृष्टया सम्पुष्ट करता है। चकबंदी पदाधिकारी के दिनांक 26.05.1990 को पारित आदेश के 12 वर्ष बाद पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा नामान्तरण दाबा किया गया है। अंचलाधिकारी के पारित आदेश दिनांक 25.08.2006/11.09.2006 को विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पूर्णतः अवैध, असंगत एवं नियम के विरूद्ध पाते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है।

विपक्षी धर्मनाथ यादव की ओर से चकबंदी वाद सं0 77/1989–90 में चकबंदी

पदाधिकारी के पारित आदेश दिनांक 26.05.1990 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 122/2009 द्वारा चुनौती दी गई थी, जो वाद पैरवी के आभाव में खारिज हो गया है। पुनः मूल वाद को पुर्नजीवित करने के लिए विपक्षी द्वारा सब जज प्रथम, अररिया के न्यायालय में विविध वाद सं0 08/2010 दाखिल किया गया है, जो प्रविष्ट होने के उपरांत न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व वाद लंबित रहने पर वाद का विनिश्चय किया जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी परिस्थिति में विविध वाद सं0 08/2010 के विनिश्चय होने तक इस नामान्तरण पुनरीक्षण वाद को स्थगित किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया एवं अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संसोधित

अपर समाहर्त्ता
अररिया

13.5.16
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 80 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 13 / 05 /2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को निम्न न्यायालय का नामातन्तरण अपील वाद सं0 02/2008–09 / 176/2012 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिप : अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

13.5.16
अपर समाहर्त्ता
अररिया